

E-mail

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / अंके / स्था.नि. / सं.शु. / १०३६ भोपाल, दिनांक ०९ / ०९ / २०

:-परिपत्र:-

प्रति,

संयुक्त संचालक / कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय / तकनीकी कार्यालय,
(समस्त)

विषय:-स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क के भुगतान एवं गणना बाबत।

—0—

संयुक्त संचालक / कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा संयुक्त संचालक / कार्यपालन यंत्री कार्यालय का संपरीक्षा शुल्क भुगतान करने हेतु पत्र जारी किये गये हैं। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग सिवनी द्वारा भी अवगत कराया कि स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा जबलपुर का पत्र क्रमांक एल.एफ.जे. / प्रति / 2019-20 / 1393 दिनांक 31.07.2019 द्वारा वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक का संपरीक्षा शुल्क राशि रूपये 503416/- जमा करने हेतु लेख किया है।

उल्लेखनीय है कि संपरीक्षा शुल्क का भुगतान प्राथमिक तौर पर प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में प्राप्त होने वाले मंडी शुल्क पर देय होती है जो मुख्यालय में बोर्ड शुल्क के रूप में प्राप्त होती है तथा प्राप्त होने वाली बोर्ड शुल्क बोर्डनिधि के रूप में जमा होती है तथा म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीनस्थ समस्त आंचलिक कार्यालय / तकनीकी कार्यालय को मुख्यालय द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत बजट आवंटन बोर्ड निधि से किया जाता है अतः समस्त आंचलिक कार्यालय / तकनीकी कार्यालयों द्वारा एक ही राशि पर दौहरा संपरीक्षा शुल्क देय नहीं होगा अतः मुख्यालय की ओर से जारी व्यय राशि के विरुद्ध स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क देय नहीं होगा किन्तु समस्त आंचलिक कार्यालय / तकनीकी कार्यालय को प्राप्त होने वाली अन्य आय उदाहरण रूपरूप सावधि जमा पर ब्याज, निविदा विक्रय, किराया से आय एवं पुस्तक पत्रिका आदि के विक्रय होने वाली आय आदि पर प्राप्त आय एवं पुस्तक पत्रिका आदि के विक्रय होने वाली आय आदि पर आधार पर वित्त वर्ष 2003-04 लगायत 2014-15 तक का मुख्यालय का संपरीक्षा शुल्क देय होगा। इस संबंध में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा उक्त के संपरीक्षा शुल्क देय होगा। इस संबंध में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा उक्त के संपरीक्षा शुल्क की पुनः गणना कर संशोधित संपरीक्षा शुल्क पत्र क्रमांक एल.एफ.ए.बी. / 2020 / 279 दिनांक 20.01.2020 द्वारा किया गया है।

८८८-२

अतः स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क का भुगतान उक्तानुसार प्रक्रिया के आधार पर भुगतान की गणना उपरान्त ही किया जावे।
कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

(दिनेश द्विवेदी)

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / अंके / स्था.नि. / सं.शु. / १०३८ भोपाल, दिनांक ०९ / ०९ / २०

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपसंचालक, वित्त, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ अंकेक्षक, लेखापाल एवं कनिष्ठ अंकेक्षक समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल